न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 71/2012 एल.आर.एक्ट

1. मोहम्मद बशीर पुत्र जलाल खां जाति मुसलमान साकिन रिड़मलसर सिपाहीयान तहसील व जिला बीकानेर ।
2. गुलाम पुत्र जलाल खां जाति मुसलमान साकिन रिड़मलसर सिपाहियान तहसील तहसील व जिला बीकानेर । **अपीलान्ट**

बनाम

1. जैनब पुत्री जलाल खां पत्नी अब्दुल रहमान जाति मुसलमान (भाटी) साकिन नापासर रोड़ रिड़मलसर सिपाहीयान तहसील व जिला बीकानेर ।
2. सईदन उर्फ बाला जलाल खां पत्नी सलाउदीन जाति मुसलमान रिडमलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर ।
3. मजीदन उर्फ बोगा पुत्री जलाल खां पत्नी भंवरुखां जाति मुसलमान अयप्पा मन्दिर के सामने वाली गली तिलकनगर बीकानेर ।
4. मुखतार अहमद पुत्र जलाल खां जाति मुसलमान साकिन रिडमलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर ।
5. हबीब बेवा सलाउदीन जाति मुसलमान साकिन रिडमलसर सिपाहियाना तहसील व जिला बीकानेर ।
6. रजिया पुत्री सलाउदीन पत्नी अब्दुल मजीद जाति मुसलमान साकिन नापासर रोड़ रिडमलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर ।
7. रईशा पुत्री सलाउदीन पत्नी फिरोज खां जाति मुसलमान साकिन रिड़मलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर ।
8. राजस्थान सरकार ।

....

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री विजय कुमार अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक

अनुपस्थित : 3– ,, सलावत खां अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 ता 3

निर्णय

दिनांक 31.10.2018

1. यह द्वितीय अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा प्रथम अपील सं0 28/2011 अनवान मोहम्मद बशीर बनाम जैनब में पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.8.2012 जिसके द्वारा ग्राम नैणों का बास तहसील बीकानेर के नामान्तरकरण सं0 83 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील अपीलान्ट मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी, के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नैणों का बास के खसरा नम्बर 136/113/40 का 13 बीघा 4 बिस्वा भूमि जलाल खां के नाम से खातेदारी की दर्ज थी । जलाल खां का दिनांक 11.12.1996 को देहान्त होने के पश्चात वर्ष 2001 में प्रशासन गांव के संग अभियान में सरपंच, ग्राम पंचायत रिड़मलसर पुरोहितान के आदेश दिनांक शून्य द्वारा वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरास्तन इन्तकाल सं0 83 दर्ज किया गया । उक्त नामान्तरकरण सं0 83 के विरुध्द अपीलान्ट सं0 1 व 2 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष दिनांक 13.6.2011 प्रथम अपील सं0 28/2011 प्रस्तुत की गयी, जिसमें निर्णय दिनांक 29.8.2012 पारित कर प्रथम अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने के आधार पर खारिज की गयी । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.12 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी किये गये । रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 के अभिभाषक वरवक्त बहस उपस्थित नहीं हुए । रेस्पोन्डेंट सं0 4,5,6 के निमित इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा रेस्पोन्डेंट सं07 के निमित जारी किये गये सम्मन पर तामील होने के पश्चात कोई उपस्थित नहीं हुआ है । अतः अपील में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया ग्राम नैणों का बास के खसरा नम्बर 136/113/40 का 13 बीघा 4 बिस्वा भूमि जलाल खां के नाम से खातेदारी की दर्ज थी । जलाल खां का दिनांक 11.12.1996 को देहान्त होने के पश्चात वर्ष 2001 में प्रशासन गांव के संग अभियान में सरपंच, ग्राम पंचायत रिड़मलसर पुरोहितान द्वारा बिना अपीलान्ट को सुने विरास्तन नामान्तरकरण बहिस्सा बराबर पुत्र –पुत्रियों के नाम दर्ज कर दिया । इस प्रकार मुस्लिम विधि के विपरीत दर्ज किया गया विरास्तन इन्तकाल क्षेत्राधिकार से बाहर एवं शून्य आदेश था । उक्त नामान्तरकरण प्रशासन गांव के संग 2001 में अंकित किया गया, जिसमें दिनांक व कैंप का स्थान खाली है । अपीलान्ट द्वारा विरास्तन इन्तकाल के विरुध्द न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर में प्रथम अपील सं0 28/2011 अनवान मोहम्मद बशीर बनाम जैनब प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 29.8.12 द्वारा मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवम् उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र पर कोई गौर नहीं किया गया, जबकि रेस्पोन्डेंट द्वारा मियाद बाबत कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । मियाद के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट ने नजीर आरआरडी 1981 पेज 293, आरआरडी 1998 पेज 319 एवं आरआरडी दिसम्बर,2004 पेज 774 अवलोकनीय बताया । अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी बताया कि शून्य आदेश पर मियाद लागू नहीं होती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.12 एवम् सरपंच, ग्राम पंचायत रिड़मलसर पुरोहितान द्वारा दर्ज किया गया विरास्तन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे ।

5. प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं08 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण वर्ष 2001 जो कि प्रशासन गांव के संग अभियान में दर्ज किया गया था, के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील में उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के समक्ष 10 वर्ष पश्चात दिनांक 13.6.2011 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट द्वारा देरी के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियिम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अपील देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जो कारण दर्शाये गये हैं वह सन्तोषजनक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है, जो सही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस एवं अभिलेख अनुसार निम्नप्रकार स्थिति स्पष्ट होती है:–

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

I. प्रकरण अनुसार ग्राम नैणों का बास, तहसील, बीकानेर के खसरा नं0 136/113 में 13 बीघा 4 बिस्वा बारानी भूमि जलाल खां पुत्र बिड़देखां जाति मुसलमान तंवर साकिन रिड़मलसर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी की दर्ज थी । जलालखां एवम् सलाउदीन का देहान्त होने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा बिना वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त किये प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में मृतक खातेदार जलाल खां एवं सलाउदीन के वारिसान गुलाम कादिर, बशीर अहमद, मुखत्यार अली पि0 जलाल खां 3/7 हिस्सा एवं जैनब– बायला – बोगा पि0 जलाल खां के नाम बहिस्सा बराबर 3/7 हिस्सा तथा हबीब बेवा सलाउदीन, रजिया–रहीसा पि0 सलाउदीन बहिस्सा 1/7 दर्ज किया गया तथा निरीक्षक हल्का से अंकन का मिलान करवाया जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत रिड़मलसर पुरोहितान, पं.स. बीकानेर से हस्ताक्षर करवाये गये है। उक्त नामान्तरकरण में प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 कैंप एवं मजमे आम की मोहर लगाई हुई है, किन्तु कैंप स्थान व दिनांक का कोई अंकन नहीं किया गया है । उक्त दर्ज किये गये विरास्तन नामान्तरकरण में सरपंच द्वारा केवल अपने हस्ताक्षर किये हैं, किन्तु दिनांक एवं नामान्तरकरण स्वीकृत/अस्वीकृत का कोई अंकन नहीं किया गया है ।

II. उक्त दर्ज किये गये विरास्तन नामान्तरकरण के विरुध्द अपीलान्ट मोहम्मद बशीर वगैरह द्वारा उपखण्ड न्यायालय बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील सं0 28/2011 प्रस्तुत की गयी, जो धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में लिये गये आधार को पर्याप्त एवं सन्तोषप्रदान नहीं मानते हुए प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है ।

III. प्रकरण में प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 दर्ज किये गये नामान्तरकरण के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील को अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.12 पारित कर मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है, जबकि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु रेस्पोन्डेंट ने इसके खण्डन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि आरआरडी 1994 पेज 505 तथा आरआरडी 1991 पेज 440 में प्रतिपादित किये अनुसार पक्षकारों की अनुपस्थिति में पारित किये गये आदेश में मियाद का प्रश्न महत्व नहीं रखता है । आरआरडी 1998 पेज 319 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये अनुसार मियाद बिन्दु पर अपील तभी खारिज करनी चाहिये जबकि अपील गुणावगुण पर बिल्कुल ही कमजोर हो ।

7. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा बिना मृत्यु प्रमाण पत्र लिये, बिना वारिसान की जांच किये एवं बिना ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन करवाये तथा सरपंच, ग्राम पंचायत रिड़मलसर पुरोहितान द्वारा दिनांक का अंकन किये बिना तथा नामान्तरकरण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का उल्लेख किये बिना मोहर लगवाई जाकर हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं, जबकि पंचायत बैठक में नामान्तरकरण का कोई अनुमोदन नहीं करवाया गया है तथा प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में कैंप का कोई स्थान व दिनांक अंकित नहीं है । प्रकरण में मुस्लिम विधि का अवलोकन किये बिना नामान्तरकरण दर्ज किया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2012 निरस्त करते हुए सरपंच, ग्राम पंचायत रिड़मसल पुरोहितान द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2001 में ग्राम नैणों का बास का दर्ज किया गया विरास्तन इन्तकाल सं0 83 भी निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे एवं मृतक खातेदार जलालखां के विधिक वारिसान/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर नियमानुसार मुस्लिम विधि के अनुसार विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें ।

8. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर